जंबो कार्यकारिणी के बावजूद राहुल गांधी के समर्थन में नहीं जुटी भीड़

एआईसीसी के आव्हान पर शहीद स्मारक पर हुए मौन सत्याग्रह में प्रभारी, सह प्रभारियों सहित बड़े नेता जुटे, लेकिन टेंट पूरा नहीं भर पाया

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह में मुख्यमंत्री को छोड़कर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन 2 दिन पहले बनी प्रदेश कांग्रेस की 190 सदस्य कार्यकारिणी और 25 जिला अध्यक्षों ने पद हासिल करने के तुरंत बाद जता दिया कि उन्होंने सिर्फ नाम के लिए पद

■ **पायलट बोले, ''मेरे मुद्दों पर पार्टी और सरकार सहमत''**

लिए हैं, भीड़ लाने के लिए नहीं। स्थिति यह रही कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी, तीनों सह प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित मंत्री, विधायक और बड़े नेता मौजूद रहे, इसके बावजूद शहीद स्मारक पर आधे हिस्से में लगाया गया टेंट भी पूरा नहीं भर पाया। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जिन लोगों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पदाधिकारी बनाया है, उनमें से कोई भी अपने साथ भीड़ लेकर नहीं आया।

प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी आने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया था कि काम करने वाले और जमीनी लोगों को ही मौका दिया गया है। उनके बयान के अगले दिन ही राहुल गांधी के समर्थन में किए गए मौन सत्याग्रह में डोटासरा की बात उन्हीं की ओर से बनाए गए पदाधिकारियों ने खराब करवाई। पहले तो प्रदेश कांग्रेस की ओर से शहीद स्मारक पर आधे से भी कम हिस्से में टेंट लगवाया गया। वह टेंट भी आधा ही भर पाया।

यहां मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा हमेशा ही इंसाफ की गुहार लगती है। पहले हम भगवान से मांगते हैं, दूसरी बार हम अदालत से इंसाफ मांगते हैं। राहुल गांधी को भगवान से और अदालत से जरूर इंसाफ मिलेगा। अवमानना के मामले में पहली बार किसी को इतनी बड़ी सजा दी गई है। पंजाब में तो हमारे बहुत चलता रहता है। केजरीवाल ने क्या-क्या नहीं बोल दिया। जिस तरह की सजा राहुल गांधी को दी गई है, वह न किसी को मिली और न मिलेगी। राहुल की जुबान बंद करने का नतीजा बीजेपी ने कर्नाटक, हिमाचल में देख लिया है। रंधावा ने कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी के नेता की आवाज बंद करना, इतिहास में पहली बार हुआ है। 1978 में भी जनता दल की सरकार ने इंदिरा गांधी को जेल में भेजा था। बाद में उसका उतना ज्यादा रिएक्शन हुआ। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने से रोकने के लिए सब किया गया। यह देश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी।

इधर सुलह बैठक तथा लंबे अंतराल के बाद सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित किसी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट बोले कि पेपर लीक पर मेरे उठाए गए मुद्दों पर पार्टी और सरकार में सहमति है। सरकार जल्द ही एक कानून लाया जाएगा, ताकि लोगों पर कार्रवाई हो। मैंने पेपर लीक और आरपीएससी के मेंबर्स की नियुक्ति पर बात रखी थी।

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी और केंद्र की आलोचना करते हुए कहा कि इन्होंने अति कर दी है। इस देश की जनता अति को बर्दाश्त नहीं करती है। राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने के बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश की छवि तो तब खराब हुई, जब अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यकर्ता की तरह अगली बार ट्रंप सरकार का नारा दिया।

मौन सत्याग्रह में उड़ीसा के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी राजस्थान के तीनों सह प्रभारी अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र चौधरी, मंत्री डॉ बी डी कल्ला, डॉ महेश जोशी, रमेश मीणा, सुखराम बिश्नोई, अशोक चांदना, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ राजकुमार शर्मा, महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज, केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, विधायक आलोक बेनीवाल, रफीक खान सहित प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से जयपुर के शहीद स्मारक पर मौन सत्याग्रह में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश सुखजिन्दर सिंह रंधावा, उड़ीसा के प्रभारी भंवर जितेन्द्र सिंह, मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास सहित कई अन्य मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

राज्यपाल कलराज मिश्र से बुधवार को राजभवन में सप्तशक्ति कमान के जनरल ऑफिसर कमाण्डिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू ने मुलाकात की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

राजनैतिक संरक्षण में पनप रहा प्रदेश में अपराध : सी.पी.जोशी

'भरतपुर हत्याकांड में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध'

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भरतपुर में भाजपा के मंडल अध्यक्ष की हत्या के आरोपी की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या के मामले को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि ''आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर'' के पुलिस स्लोगन का प्रदेश में कोई अर्थ रहा नहीं है। प्रदेश के मौजूदा हालातों में आमजन में डर है और अपराधियों में विश्वास पैदा हुआ है। इस तरह के गंभीर अपराध किसी आका की सरपरस्ती के बिना नहीं पनप सकता। भरतपुर के मर्डर कांड में पुलिस की भूमिका भी पूरी तरह संदिग्ध बनी हुई है। जिसमें मर्डर क्यों हुआ, किसका हुआ, मृतक कहां जा रहा था, क्या वह गवाही देने वाला था। स्वाभाविक है, कि गवाही में किसी बड़े आदमी का नाम सामने आने वाला था। तो क्या इसी वजह से उसकी आवाज बंद कर दी गई।

जोशी ने कहा कि हो सकता है यह

■ **प्रदेश में ना कानून है, ना ही प्रशासनिक व्यवस्था : राजेन्द्र राठौड़**

मर्डर किसी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया हो। मर्डर का आरोपी केवल ट्रिगर दबाने वाला था, उसका आका कोई और था। मुख्य आरोपी का नाम भाजपा मंडल अध्यक्ष की हत्या में ना आए इसलिए आज यह हत्या हुई है। जोशी ने कहा कि यह कोई बड़ा षडयंत्र हो सकता है। प्रदेश का गृहमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री गहलोत को सोचना चाहिए कि उनकी सरकार के संरक्षण में किस प्रकार से राजस्थान में अपराध पनप रहा है। इस तरह की घटनाओं में कहीं न कही राजनीति और अपराध का गठजोड़ साफ दिखाई देता है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भरतपुर हत्याकांड पर कहा कि प्रदेश में ना कानून है, ना ही प्रशासनिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साढ़े 4 वर्ष तक राजस्थान को पूर्णकालिक गृहमंत्री नहीं दिया पुलिस की लापरवाही और पुलिस के टूटते इकबाल से भरतपुर की घटना घटित हुई है। राठौड ने पूरे घटनाक्रम पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस कस्टडी में और 6-6 गार्डों की मौजूदगी में रोडवेज की बस में हार्डकोर अपराधी को लेकर आना और उसकी हत्या होना यह घोर लापरवाही है। यदि इस प्रकार की धमकी या खतरा था तो पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किए। राष्ट्रीय प्रवक्ता एंव सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि भरतपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष की हत्या के मुख्य आरोपी की पुलिस कस्टडी में इस तरह हत्या होना, गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खडा करता है। राठौड़ ने कहा कि किसके इशारे पर, और किसको बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।

इस हत्याकांड में पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह संदेहास्पद और सवालों के घेरे में है।

सी.आई.आई. प्रतिनिधि मंडल इंडोनेशिया पहुंचा

जयपुर, (का.सं.)। ''इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, कागज, खनन, अपशिष्ट प्रबंधन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों से एक वरिष्ठ स्तर का उद्योग प्रतिनिधिमंडल व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए 11 से 14 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा कर रहा है।'' सीआईआई राजस्थान स्टेट काउंसिल के मिशन लीडर और चेयरमैन अभिनव बांठिया ने यह बात कही। जकार्ता में सीआईआई का आठवां अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भारतीय कंपनियों को बाजार की जानकारी, अवसरों को उजागर करना, साझेदार ढूंढना, मैचमेकिंग, व्यापार मेलों में भागीदारी, निवेश सत्र, सेमिनार आदि में सहायता करके इंडोनेशिया के साथ सहयोग करने में सहायक रहता है।

युवा मोर्चा 18 को आर.पी.एस.सी. का करेगा घेराव : अंकित चेची

जयपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रेसवार्ता को सम्बोधित किया।

चेची ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड किया है। प्रदेश का युवा पेपर लीक की घटनाओं से निराश है, और युवाओं में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। युवा विरोधी कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने युवाओं से वादाखिलाफी की। वहीं कांग्रेस सरकार की सरपरस्ती में रीट भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती सहित दर्जनभर से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए है। गहलोत सरकार की हठधर्मिता के आगे राजस्थान का युवा लाचार है। भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ आगामी 18 जुलाई को अजमेर में आरपीएससी कार्यालय का घेराव करेगा। इस युवा आक्रोश महाघेराव में राजस्थान के सभी जिलो से युवा भाग लेंगे।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जुबेर आलम को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है। वहीं यदि इसमें पीड़िता की सहमति भी होती तो भी यह दुष्कर्म की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। इसके अलावा डीएनए जांच से भी साबित है कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीड़ित पक्ष और अभियुक्त एक मकान में अलग-अलग कमरे में किराए से रहते थे। जबकि अभियुक्त की पत्नी अपने पांच बच्चों के साथ गांव में रहती है।

कर्नल वीरेंद्र कुमार ने किया राजस्थान बटालियन एन.सी.सी. का निरीक्षण

प्रथम राजस्थान बटालियन एन.सी.सी. कैडेट्स ने बुधवार को जयपुर ग्रुप कमांडर वीरेंद्र कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर ग्रुप कमांडर कर्नल वीरेंद्र कुमार ने आज प्रथम राजस्थान बटालियन एन सी सी का वार्षिक निरीक्षण किया। प्रथम राजस्थान बटालियन एन सी सी के कमान अधिकारी कर्नल जितेंद्र सिंह जयपुर द्वारा जयपुर ग्रुप कमांडर कर्नल वीरेंद्र कुमार का गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन किया।

प्रथम राजस्थान बटालियन एन सी सी कैडेट्स द्वारा जयपुर ग्रुप कमांडर वीरेंद्र कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जयपुर ग्रुप कमांडर वीरेंद्र कुमार ने एन सी सी कैडेट्स दी जा रही ट्रेनिंग के विषय में बातचीत की उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की।

जयपुर ग्रुप कमांडर कर्नल वीरेंद्र सिंह को ब्रिफिंग के दौरान कर्नल जितेंद्र सिंह प्रथम राजस्थान बटालियन एन सी सी के अंतर्गत आने वाले सीनियर एवं जूनियर डिवीजन के करीब 28 उच्च माध्यमिक विद्यालयों ओर 17 महाविद्यालयों में चल रही करीब 3000 एन सी सी कैडेट्स की सहशैक्षिक गतिविधियों ओर उपलब्धियों से अवगत कराया। इस अवसर पर बटालियन के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एस एस नाथावत उनके साथ थे। जयपुर ग्रुप कमांडर को ब्रीफिंग के दौरान कैडेट्स फुट ड्रिल, आर्म्स ड्रिल, गार्ड ऑफ ऑनर, चांदमारी, हथियारों का प्रशिक्षण, सैनिक मानचित्र, स्मॉल आर्म्स, मैप रीडिंग आदि विषयों के बारे में चर्चा की गई।

जयपुर ग्रुप कमांडर कर्नल वीरेंद्र कुमार ने प्रथम राजस्थान बटालियन एन सी सी के ऑफिस, स्टोर, कोथ, कैंटीन, बैरक, परिसर आदि का निरीक्षण किया। एन सी सी के विद्यालयों और महाविद्यालयों से आये सहयोगी एन सी सी अधिकारियों, बटालियन के सूबेदार, स्टाफ एवं सिविल से मुलाकात किया। ग्रुप कमांडर विद्यालय और महाविद्यालय के सहयोगी एन सी सी अधिकारियों से चल रही है एन सी सी की गतिविधियों का जानकारी प्राप्त की और बताया कि राजस्थान के विकास के लिए एन सी सी में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है एन सी सी अधिकारी इस विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें कैडेट्स को प्रोत्साहित कर उनके सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

NAME CHANGE

I Munni Devi W/O Randheer Singh Jat, DOB- 01.07.1968, Present Add. Plot 23-24, Nangal Susawatan, Vivek Vihar Colony, Amer, Jaipur (Raj) & Permanent address: Village Bagor, Tehsil Khetri, Jhunjhunu (Raj) pledge that all Munni Devi, Meena Kumari, Meena Devi, Munne Devi are my own names. In future I should be known and recognised by Munni Devi as per my Aadhar card and PAN Card number.

खोया-पाया

मेरे मकान 2/53, एसएफएस अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर का Possession letter, No Dues leter एवं Original Allotment letter कहीं खो गया है मिलने पर संपर्क करें- 9214422220

मेरे मकान 5-CHA-25 नाहरी का नाका जयपुर का मूल आवंटन पत्र व कब्जा पत्र, नाहरी का नाका जयपुर में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें। Valsamma KSS 9829005189

RTDC Hotel Swagatam
(A Unit of Rajasthan Tourism Development Corporation Ltd.) Station Road, Jaipur
www.rtdc.tourism.rajasthan.gov.in
E-mail- swagatam.rtdc@rajasthan.gov.in
क्रमांक/स्वागतम/2023-24/निविदा/98 दिनांक-03.07.2023

निविदा सूचना

जयपुर स्थित होटल स्वागतम मे एक वर्ष की अवधि के लिए मटन-चिकन-अण्डे, ताजा सब्जियो व फल डेयरी उत्पाद, ईंधन, पानी के टैंकर आदि की आपूर्ति, लिनन धुलाई, ए.सी. व रेफ्रीजरेशन उपकरणों के वार्षिक रखरखाव हेतु मोहरबंद निविदाए आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र होटल स्वागतम से कार्यालय समय मे निर्धारित शुल्क जमा कराकर दिनांक 20.07.2023 दोपहर 12 बजे तक प्राप्त कर दिनांक 20.07.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे तक होटल स्वागतम मे जमा करावें। योग्य निविदायें उसी दिन साय 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी। निविदा सूचना के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी www.rtdc.tourism.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

महाप्रबन्धक
RTDC Hotel Swagatam, JAIPUR

आम सूचना दिनांक 11.07.2023

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य गनी खान पुत्र श्री अब्दुल खान, निवासी प्लाट नम्बर 86, जे. के. मलवान, महन्त कॉलोनी, खातीपुरा, झोटवाडा जयपुर (राजस्थान)-302012 द्वारा शंकर लाल (शंकर रैगर) पुत्र स्व. श्रीनारायण उर्फ श्रीराम, निवासी प्लाट नम्बर 167-ए, श्रीनारायणपुरी, कालवाड़ रोड, झोटवाडा, जयपुर (राजस्थान) से उसके स्वामित्व व अधिपत्य की सम्पत्ति प्लाट नम्बर 167-ए, आवासीय योजना श्रीनारायणपुरी, कालवाड़ रोड, झोटवाडा, जयपुर (राजस्थान), जिसका कुल क्षेत्रफल 118.06 वर्गगज है को खरीद करने हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. से ऋण प्राप्त कर उक्त सम्पत्ति को बंधक रखना चाहता है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि को उक्त सम्पत्ति के खरीद/बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 14 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करे, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

भवदीय
(रामेश्वर सिंह राठौड़) एडवोकेट मो.नं. 9829256466

नाम परिवर्तन

I, No. 2893302K Hav. Prathavi Singh S/o Late. Bhagirath Singh R/o 211-212, Flat F-2, Niwaru Road, Jhotwara, Jaipur, Raj. In Army record my wife's name Sunita Devi & D.O.B. 01.07.1978, Son's Name Tanish Kumar is wrongly recorded. Wife's Correct Name Sunita Tanwar & D.O.B. 01.01.1973, Son's Correct Name Tanish Tanwar.

I have changed my name from Navneet Kaur Sandhu to Navneet Sandhu W/o Sh. Jagbir Singh R/o 250/41, Sector-25 Pratap Enclave, Haldighati Marg, Near NRI, Pratap Nagar, Jaipur for all future purpose.

I have changed my Name from M. Rafeeque Qureshi to Mohammed Rafeeque Qureshi S/o Yusuf Qureshi for all Porpose. Resi. 303, Arsh Appartment, Adarsh Nagar, Jaipur.

मैंने अपना नाम मंजूला सिंह से बदलकर मंजू सिंह पत्नि जसवंत सिंह रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें निवासी-डी-31, जसवन्त विल्ला, शिव पार्क, अम्बाबाडी, विद्याधर नगर, जयपुर

मैं पप्पू सिंह दरोगा (जाति रावणा राजपूत ग्राम सवाई माधोसिंहपुरा) की पुत्री पायल नरूका का 8वीं की अंक तालिका में गलती से माता का नाम जमना देवी दर्ज हो गया है, जबकि सही नाम गणेशी देवी है अत: भविष्य में उसे गणेशी देवी के नाम से जाना पहचाना जाए।

मैं रमेश पुत्र जीवा राम पता मेहरों का वास रामसीन जालोर राजस्थान 307803 मैंने अपना नाम रमेश से बदलकर आरके इंडियन रख लिया है शपथ पत्र दिनांक 04.07.2023नोटरी पब्लिकदीपक कुमार जयपुर को दिखा कर अत भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना वह पहचाना जाये।

मेरे पुत्र का नाम आदित्य पंवार पुत्र विकास पंवार है जोकि विद्यालय रिकार्ड में सहवन आदित्य पुत्र विकास दर्ज हो गया है, आधारकार्ड में भी आदित्य पंवार पुत्र विकास पंवार दर्ज है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है, विद्यालय रिकार्ड में दुरूस्त करें। शकुंतलादेवी वार्ड 10 खैरथल (राजस्थान)

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone NO. 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/1130 दिनांक- 12.7.2023

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 123/95 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 68.96 वर्गमीटर/ वर्गगज का आवंटन श्री शिवदत्त भटनागर पुत्र श्री हजारी लाल भटनागर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2673 दिनांक 28.09.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 26.12.1989 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 5464 दिनांक 07.11.2001 के द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार एवं श्रीमतीलीला देवी के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसके पश्चात श्रीमती लीला देवी की मृत्यु दिनांक 12.03.2022 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार बिधानी पुत्र श्री धर्मदास ने 1/2 अविभाजित हिस्से का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अत: उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार बिधानी पुत्र श्री धर्मदास के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-ऑक्शन संशोधन सूचना संख्या-1

संख्या: सी-78/1/117/SLR/ई-ऑक्शन/2022 दिनांक: 11/07/2023 इस कार्यालय की ई-ऑक्शन सूचना समसंख्यक दिनांक 07.07.2023 के द्वारा जयपुर मंडल की विभिन्न ठेको को देने हेतु आमंत्रित ई-ऑक्शन की सूचना जारी की गयी है। उक्त निविदा सूचना के मद लॉट के ई-ऑक्शन प्रारम्भ की तिथि व समय के क्र.सं. '2' 'Pay & Use Toilets' के (2) PnU-15 में **ऑक्शन दिनांक 21.07.2023 को 11:35 के स्थान पर 11:15 बजे से पढा जायें। शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी।**

मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य), जयपुर
726-AC/23

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone NO. 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/981 दिनांक- 30.6.2023

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 123/247 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 50.928 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती चन्द्रावती चुघ पत्नी श्री सोमनाथ चुघ को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2474 दिनांक 16.06.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 08.11.1989 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1098 दिनांक 10.03.1996 के द्वारा श्रीमती चन्द्रावती चुघ पत्नी श्री सोमनाथ चुघ के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 17.11.1998 को करवाया गया। इसके पश्चात श्रीमती चन्द्रावती चुघ की मृत्यु दिनांक 23.06.2019 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री प्रदीप कुमार चुघ पुत्र स्व. श्री सोमनाथ चुघ ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अत: उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री प्रदीप कुमार चुघ पुत्र स्व. श्री सोमनाथ चुघ के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

प्रपत्र संख्या-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 136/2023

चूंकि श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, निवासी नांगल (लोटवाडा) तहसील बैजूपाडा जिला दौसा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री रघुनाथ जी महाराज का मंदिर, ग्राम नांगल (लोटवाडा) तहसील बैजूपाडा जिला दौसा जयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 01.08.2023

मोहर अदालत
रतनलाल योगी (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र संख्या-7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 176/2023

चूंकि श्री अभिनव शर्मा पुत्र श्री ललित मोहन शर्मा निवासी 17/3 श्री रामपुरा कॉलोनी, सीएम हाउस के सामने, सिविल लाइन्स, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री ओमा फाउण्डेशन, 17/3 मैन सिविल लाइन्स रोड, सीएम हाउस के सामने, सिविल लाइन्स जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 11.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 21.09.2023

मोहर अदालत
रतनलाल योगी (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति बयाना (भरतपुर)
क्रमांक:-पंसब/लेखा/2023-24/448-452 दिनांक:-12.7.2023

ई-निविदा सूचना सं. 03/2023-24

पंचायत समिति बयाना एवं इसकी अधीनस्थ ग्राम पंचायत खोहरा के लिए महानरेगा एवं ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यों हेतु आवश्यक निर्माण सामग्री आपूर्ति बावत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये ई-निविदाये दिनांक 26.07.2023 तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
NIB No.-ZBH2324A0080
UBN No.ZBH2324GLRC00160 एवं 00161

विकास अधिकारी कम कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति बयाना

कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, करौली
केशवपुरा पुलिया, मण्डरायल रोड़, करौली
क्रमांक:-समसा/करौली/लेखा/2023-24/849 दिनांक:-12.7.2023

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्व्यक समग्र शिक्षा करौली में वित्तीय वर्ष 2023-24 जिला स्तरीय उप प्रधानाचार्य आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 190 संभागियो के आवास एवं भोजन हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in से देखी व डाउनलोड की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 17.03.2023 है। जिनके यूबीएन नम्बर निम्नानुसार है।
UBN :- RSE2324SS0B00952, RSE2324SS0N00949

अतिरिक्त जिला परियोजना
समन्वयक समग्र शिक्षा करौली

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी क्षेत्र चाकसू (न.पा.चा.) जिला-जयपुर
नियम 6(7) देखिए
क्रमांक-1811 दिनांक-11.07.2023

लोक सूचना

एम.एस. अग्रवाल स्वीट्स मन्यूफैक्चरिंग एण्ड अदर रिलेटेड प्रोटक्ट्स मैन्यूफैक्चरिंग एण्टरप्राईजेज जरिये प्रोपराईटर श्री नाथू लाल अग्रवाल पुत्र श्री नन्दलाल निवासी सुनारों का मोहल्ला वार्ड नं. 09 चाकसू जिला जयपुर ने इन कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये कृषि भूमि से प्राथमिक लघु उद्योग BAKERY AND CONFECTIONERY ITEMS, TIL PRODUCT SESAME PRODUCT, SESAME, CADY, GAJAK, SOHAN PAPDI) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रतुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा	क्षेत्र
तहसील चाकसू जिला जयपुर	ग्राम जीवनपुरा	336/169	0.2100 है0	कुल किता 03 रकबा
		338/170	0.0200 है0	0.2400 हैक्टर
		340/170	0.0100 है0	

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जजाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 11.07.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
नगरीय क्षेत्र चाकसू